118

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
अधिसूचना

संख्याः–3/विविध–1077/2024 — 92 पटना, दिनांक– 05/02/2025

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्-द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) की भर्त्ती एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।– (i) यह नियमावली, ''बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2025'' कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के अधीनस्थ क्षेत्रीय स्थापना के कार्यालयों तक होगा।
   (iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ** ।– इस नियमावली में, जब तक विषय या संदर्भ के अन्यथा न हो,–
   (i) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थापना अन्तर्गत कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) संवर्ग;
   (ii) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   (iii) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत हैं बिहार के राज्यपाल;
   (iv) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग;
   (v) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता;
   (Vi) ''विभाग'' से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार;
   (Vii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;
   (Viii) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि।
3. **संवर्ग की संरचना**।– कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) की संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगीः–

पद का नाम	पदों का स्तर
कार्य निरीक्षक (यांत्रिक)	मूल कोटि

4. **उम्र सीमा**।– कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 1 अगस्त को 18 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाय।
5. **आरक्षण**।–इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

115

6. **नियुक्ति**।– (i) कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से मशीनिस्ट/फीटर/इलेक्ट्रीशियन /वायर मैन ट्रेड की परीक्षा उत्तीर्णता के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष संस्थान से मैट्रिक (दसवीं) उत्तीर्ण होना होगा।

कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) के पदों पर सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) के पदों पर आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर की जायेगी।

(ii) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा एवं प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन कर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधा क्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा।

(iii) सम्यक जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

(iv) उक्त पद का वेतनमान वही होगा, जो राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जायेगा।

7. **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु लिखित पाठयक्रम**।– कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) के पद पर चयन हेतु आयोग द्वारा 100 अंकों की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।

8. **परिवीक्षा अवधि**।– (i) मौलिक रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाला प्रत्येक कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) पद ग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि पूरी होने के उपरान्त कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाय तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जा सकने वाले कारण से परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यदि विस्तारित अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण**।–सरकार द्वारा किये गए विनिश्चय के आधार पर कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा नियत की जाती है, तो उसमें उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य होगा।

10. **सम्पुष्टि**।– परिवीक्षा पर नियुक्त कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगाः–

(i) सरकार द्वारा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण हो,

(ii) समय–समय पर विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो और प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा हो तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो,

(iii) इस अवधि में उसका आचरण एवं उसकी सेवा संतोषजनक रही हो।

(iv) हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

11. **वरीयता**।–इस सेवा के सदस्यों की वरीयता आयोग से प्राप्त मेधा सूची के क्रमानुसार होगी तथा यह राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियत सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अवधारित की जा सकेगी।

12. **प्रकीर्ण।**—स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण—(i) इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के अधीन होंगे।

(ii) इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा—सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबधी सभी विषय यथास्थिति, संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के अधीन होंगे। आकस्मिक आवश्यकता अथवा प्रशासनिक आधार पर अन्य प्रक्षेत्र में स्थानान्तरण करने की शक्ति अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को होगी।

13. **कठिनाईयों का निराकरण।**—यदि सरकार को यह समाधान हो जाय कि इस संवर्ग में नियुक्त कर्मियों की सेवा—शर्तों से संबंधित किसी नियम को किसी विशेष मामलें में लागू करने में कठिनाई हो, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विधि विभाग से परामर्श के पश्चात उसे दूर कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक—3/विविध—1077/2024 पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/—
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक—3/विविध—1077/2024 पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

121

ज्ञापांक–3 / विविध–1077 / 2024 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की दिनांक–04.02.2025 की बैठक में मद संख्या–38 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3 / विविध–1077 / 2024 – 92 पटना, दिनांक– 05/02/2025

प्रतिलिपि– मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/02/2025
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

122

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

संख्या–3 / विविध–1077 / 2024 – 93 पटना, दिनांक– 05/02/2025

विभागीय अधिसूचना संख्या........92 –........ दिनांक 05/02/2025 के तहत निर्गत "बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025" का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत, उक्त नियमावली का अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(पंकज कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
NOTIFICATION

No-3/Misc-1077/2024 – 92 Patna, Dated-05/02/2025

In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to regulate the appointment and other service conditions of the work Supervisor (Mechanical) Cadre under regional office of the Public Health Engineering Department of the State Government:-

1. **Short title, extent and Commencement.-**
   (i) These Rules may be called as the "Bihar State Public Health Engineering Department Regional Work Supervisor (Mechanical) Cadre (Appointment and Service Conditions) Rules, 2025".
   (ii) It shall extend to the establishment of regional offices under Public Health Engineering Department of Bihar.
   (iii) It shall come into force from the date of publication in offcial gazette.

2. **Definitions.-** In these Rules, unless otherwise required in the subject/context-
   (i) "Cadre" means the work Supervisor (Mechanical) Cadre within Regional Chief Engineer, Public Health Engineering Department of the State Government;

123

(ii) "State Government" means the Government of Bihar;

(iii) "Governor" means the Governor of Bihar;

(iv) "Appointing Authority" means the Concerned Regional Chief Engineer, Public Health Engineering Department;

(v) "Cadre Controlling Authority" means the Regional Chief Engineer of Public Health Engineering Department;

(vi) "Department" means the Public Health Engineering Department, Bihar;

(vii) "Commission" means the Bihar Technical Service Commission; and

(viii) "Year" means the financial year, i.e., from April 1st to March 31st of the following year.

3. **Structure of the cadre .-** The structure of the cadre of the work Supervisor shall be as follows :-

Name of the Post	Level of the Post
Work Supervisor (Mechanical)	Basic Grade

4. **Age Limit.-** The minimum age for a candidate applying for the post of the Work Supervisor (Mechanical) should be 18 years as on August 1st of the year of recruitment. The maximum age limit shall be as determined by the Government of Bihar from time to time.

5. **Reservation.-** The provisions of reservation/roaster, as prescribed by the State Government from time to time, shall be applicable in the recruitment for this cadre.

6. **Appointment.-** (i) For appointment to the post of Work Supervisor (Mechanical), the candidate must have passed the examination of Machinist/Fitter/Electrician/Wire Man Trade from a recognized Industrial Training Institute (I.T.I) along with Matriculation (10th standard) from recognized Board/ equivalent institution.

The Direct Recruitment to the post of Work Supervisor (Mechanical) shall be done by the Commission on the basis of marks obtained in the examination conducted for the post of Work Supervisor (Mechanical).

(ii) The Commission will notify the vacancies and on the basis of the competitive examination, the commission will recommend to the concerned Appointing Authority after selecting eligible candidates in order of the merit.

(iii) After thorough verification, the appointment of the candidates shall be done by the appointing authority.

(iv) The pay scale of this post shall be same, as determined by the State Government from time to time.

7. **Written Syllabus for the Written Competitive Examination.-** For selection to the post of Work Supervisor (Mechanical), a written competitive examination of 100 marks will be conducted by the Commission. The syllabus of the competitive examination shall be determined by the Commission with the consent of the Department.

8. **Probation Period.-** (i) Every Work Supervisor (Mechanical) appointed against basic vacant post shall remain on probation for a period of one year from the date of appointment.

(ii) The probation period may be extended for another one year by the appointing authority with reasons recorded in writing, if the conduct and service during the probation period is not found satisfactory. If the conduct and service are not found satisfactory even during the extended period, the service may be terminated.

9. **Training.-** The Training for Work Supervisor (Mechanical) shall be mandatory from time to time as per the decision of the government. It will also be mandatory to pass the examination conducted at the end of the training period, if any.

10. **Confirmation.-** A Work Supervisor (Mechanical) appointed on probation will be eligible for confirmation in service after completing the probation period under the following conditions:

(i) Must have passed the departmental examination, if any, prescribed by the government.

(ii) Must have completed the training prescribed from time to time and has passed examination, if any, at the end of the training,

(iii) His /Her conduct and service during this period must have been satisfactory.

(iv) Must have passed the Hindi noting and drafting examination and computer proficiency test.

11. **Seniority.-** The seniority of the members of this service shall be determined according to the merit list received from the Commission and the same can be determined by the appointing authority in accordance with the principles and procedures prescribed by the General Administration Department of the State Government from time to time.

12. **Miscellaneous.-** Control of establishment related works- (i) all matters related to Appointment and Establishment of members of this cadre shall be

under the jurisdiction of the concerned Regional Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Bihar.

(ii) All matters related to the appointment, posting, transfer, service confirmation, upkeep of seniority list and establishment-related all subject of this cadre shall be under the jurisdiction of the concerned Regional Chief Engineer. The power to transfer in other zone shall be with Engineer-in-chief-cum-Special Secretary, Public Health and Engineering Department in case of sudden requirement and administrative ground.

13. **Removal of Difficulties.-** If the Government is determined that there is difficulty in applying any rule in any particular matter regarding Service conditions of Staff appointed in this cadre, the State Government, with the concurrence of the Law Department, may remove such difficulties by a notification.

By order of the Governor of Bihar

Sd/-
(Pankaj Kumar)
Principal Secretary to Govt

ज्ञापांक–3 / विविध–1077 / 2024 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3 / विविध–1077 / 2024 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, बिहार / मुख्य सचिव, बिहार / सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / राज्यपाल सचिवालय / मुख्यमंत्री सचिवालय / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग / सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

126

ज्ञापांक–3/विविध–1077/2024 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की दिनांक–04.02.2025 की बैठक में मद संख्या–38 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/विविध–1077/2024 – 92 पटना, दिनांक– 05/02/2025

प्रतिलिपि– मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/02/2025
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव